कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), बारां

क्रमांकः–एफ–9 / सहायता / 2025 / 3216 दिनांकः– 23 / 07 / 2025

निमित्त–

संयुक्त शासन सचिव महोदय,
आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग,
राजस्थान–जयपुर।

विषयः– सम्वत् 2079 खरीफ बाढ में हुए फसल खराबा के लिए की गई बजट मॉग के संबंध में।

प्रसंगः– श्रीमान का पत्रांक एफ.2(1)आ.प्र.सहा. / लेखा / बजट / 2024 / राजकाज दिनांक 04.07.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र में DMIS पोर्टल पर सम्वत् 2079 खरीफ बाढ के कृषि आदान अनुदान मुआवजा भुगतान हेतु बजट मॉग किये जाने पर, आक्षेपो के संबंध में टिप्पणी चाहे जाने पर, बिन्दुवार रिपोर्ट निम्न प्रकार सादर प्रेषित है।

(1) सम्वत् 2079 के कृषको के डाटा विभागीय स्वीकृति के अनुसार अपलोड कर लगातार भुगतान किया जा रहा है। अब तक कुल 180521 कृषको को राशि 1,27,13,27,193/–रूपये का भुगतान किया जा चुका है। निवेदन है कि यह बजट मॉग गत वित्तीय वर्ष 2024–25 की है। गत वर्ष 2024–25 में 14744 कृषको के बिल तैयार कर कोषालय को भिजवाये गये थे जो पारित होने के बावजूद बिल की राशि अधिक होने के कारण संबंधित लाभार्थी के खाते में ECS नहीं हुई है। इस प्रकार गत वर्ष 2024–25 के लंबित नये दायित्वो के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में पुनः बजट मॉग की गयी है। इस कार्य में किसी भी स्तर से लापरवाहीं नहीं की गयी है, ना हीं कोई दोषी रहा है।

(2) उक्त मॉगपत्र अनुसार विभाग से बजट आवंटन के उपरान्त अन्दर 07 दिवस में वित्तीय स्वीकृति जारी कर बिल तैयार कर लाभार्थियों को भुगतान की कार्यवाहीं पूर्ण कर ली जायेगी।

(3) इस संबंध में निवेदन है कि विभाग से बजट प्राप्त होने पर तत्काल सभी आवश्यक प्रक्रिया एवं स्वीकृतियॉ जारी कर बिल तैयार कर कोषालय को भिजवाने की प्रक्रिया प्रभावी ढ़ंग से सम्पादित की जा रहीं है। साथ हीं निवेदन है कि भविष्य में जब भी जिला स्तर से कृषको को कृषि आदान अनुदान भुगतान के लिए बजट मॉग की जायेगी इससे पूर्ण जिला स्तर पर संबंधित काश्तकारो / लाभार्थियों के बैंक खातो से संबंधित सूचनाऐ तहसील से प्रमाणित करवाकर कार्यालय में सुरक्षित रखने की कार्यवाहीं पूर्ण कर ली जायेगी।

सम्वत् 2079 खरीफ बाढ की मॉग अनुसार कृषि आदान अनुदान के लाभार्थी के नाम व बैंक खातों के विवरण को सत्यापित करने वाले ग्राम स्तर के अधिकारी के नाम व पदनाम सहित सूची मॉग पत्र के साथ प्रेषित करने के निर्देश दिये है ताकि गलत जानकारी / गलत सत्यापन के लिए संबंधित अधिकारी / कर्मचारी का दायित्व निर्धारित कराया जा सके।

इस संबंध में निवेदन है कि DMIS पोर्टल से उल्लेख अनुसार बजट मॉग में अंकित कृषको के डाटा अपलोड / सत्यापन करने वाले ग्राम स्तरीय अधिकारी के संबंध में सूचना एकत्रित करने का प्रयास करने पर, पोर्टल पर इन कृषको की प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद डाटा अपलोड करने वाले ग्राम अधिकारी के संबंध में कोई डिटेल निकालने का ऑप्शन DMIS पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है। तहसील स्तर से भी इस प्रकार की ऑप्शन प्रदर्शित नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त सूचना DMIS पोर्टल से किस प्रकार निकाली जावें इस संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग, जयपुर के तकनीकी टीम को भी ई–मेल एवं लगातार वार्ता की जा रहीं है। चूकि दायित्वाधीन बजट मॉग काफी समय से लंबित है तथा आमजन को मुआवजा भुगतान कराया जाना आवश्यक है। अतः उक्त परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए मॉग अनुसार बजट आवंटन कराने का श्रम करावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

प्रभारी अधिकारी (सहायता)
कार्यालय जिला कलक्टर, बारां

RajKaj Ref No.: 16719204
eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Designation : District Supply Officer
Date: 2025.07.23 12:32:19 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलक्टर, बारां

क्रमांकः–एफ–9 / सहायता / 2025 / 2651 दिनांकः–05 / 05 / 2025

निमित्तः–

श्रीमान संयुक्त शासन सचिव
आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग,
जयपुर।

विषयः– डीएमआईएस पोर्टल पर कृषि आदान अनुदान के बिल के संबंध में।
प्रसंगः– आपका पत्रांक एफ.7(1)आ.प्र.एवं सहा. / कम्पू / विविध / 2018 दिनांक

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ मे निवेदन है कि वर्ष 2024–25 में 31 मार्च तक कृषि आदान अनुदान से संबंधित बिल ECS नहीं होने के कारण ट्रेजरी द्वारा बिलो को रिजेक्ट कर वापस कर दिये गये है। जिसकी सूचना निम्नानुसार आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्र. सं.	प्रशासनिक स्वीकृति व दिनांक	वित्तीय स्वीकृति व दिनांक	बजट मद	आपदा का प्रकार	डीएमआईएस बिल न.	पैमैनेजर बिल न.	बिल दिनांक	बिल राशि	कृषकों की संख्या
1	AS/AGRI/2079/ BAR/0008288 29-08-2024	FS/AGRI/2081/ BAR/0006323 21-10-2024	2245-02-114-09-01	बाढ	1022263	53672711	22-10-2024	6338120	1214
2	AS/AGRI/2079/ BAR/0008288 29-08-2024	FS/AGRI/2081/ BAR/0006323 21-10-2024	2245-02-114-09-01	बाढ	1022269	53672755	22-10-2024	9951896	1996
3	AS/AGRI/2079/ BAR/0008897 06-12-2024	FS/AGRI/2081/ BAR/0006705 28-01-2025	2245-02-114-09-01	बाढ	1022939	53720227	05-02-2025	12685678	1923
4	AS/AGRI/2079/ BAR/0008897 06-12-2024	FS/AGRI/2081/ BAR/0006705 28-01-2025	2245-02-114-09-01	बाढ	1022935	53720203	05-02-2025	13646744	1999
5	AS/AGRI/2079/ BAR/0008897 06-12-2024	FS/AGRI/2081/ BAR/0006705 28-01-2025	2245-02-114-09-01	बाढ	1022934	53720222	05-02-2025	5574995	928
6	AS/AGRI/2079/ BAR/0008897 06-12-2024	FS/AGRI/2081/ BAR/0006705 28-01-2025	2245-02-114-09-01	बाढ	1022937	53720283	05-02-2025	9497290	1442
7	AS/AGRI/2079/ BAR/0007756 07-04-2024	FS/AGRI/2081/ BAR/0005965 20-06-2024	2245-02-114-09-01	बाढ	1021364	53850844	27-06-2024	15126723	1997
8	AS/AGRI/2079/ BAR/0008983 17-01-2025	FS/AGRI/2081/ BAR/0006838 24-02-2025	2245-02-114-09-01	बाढ	1025461	53912248	25-02-2025	4823859	1283
9	AS/AGRI/2079/ BAR/0008983 17-01-2025	FS/AGRI/2081/ BAR/0006838 24-02-2025	2245-02-114-09-01	बाढ	1025460	53912247	25-02-2025	9952933	1962

प्रभारी अधिकारी (सहायता)
कार्यालय जिला कलेक्ट्रेट,बारां

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर, बारां

दिनांक: 06/06/2025

क्रमांक: AS/Kharif/2877

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/AGRI/2079/BAR/0009628

प्रशासनिक स्वीकृति

विषय:- अभाव संवत् 2079 के प्रभावित कृषकों हेतु कृषि आदान अनुदान बाबत् ।

राज्य सरकार द्वारा जारी क्रमांक 13405-425 दिनांक 02.12.2022 द्वारा अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों के प्रभावित कृषकों को अभाव संवत् 2079 (खरीफ-2022) में कृषि आदान अनुदान राशि दिये जाने हेतु आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना में निम्नानुसार तहसीलो हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है-

तहसील	कृषक संख्या	कृषक श्रेणी	फसल खराबा श्रेणी	राशि (रु में)
अटरू	10	Other Than SMF	50%-75%	129625
मांगरोल	19	Other Than SMF	50%-75%	229500
योग	**29**			**359125**

उक्त स्वीकृति वितीय वर्ष 2025-2026 में कृषकों हेतु 2245-02-114-(10)-01-12 बजट मद पर भारित होगी ।

जिला कलेक्टर,
बारां

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त, ...
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
4. वितीय सलाहकार, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राज, जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद...................
6. अति. जिला कलक्टर........................
7. तहसीलदार ....
8. जिला जनसम्पर्क अधिकारी..........................
9. निजी सहायक, जिला कलक्टर..........................
10. रक्षित पत्रावली।

जिला कलेक्टर,
बारां

Signature valid
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.06.09 18:39:19 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), बारां

क्रमांकः–एफ–9 / सहायता / 2025 / 2982 दिनांकः– 19/ 6/ 2025

निमित्त–
संयुक्त शासन सचिव,
आपदा प्रबंधन,सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग,
राजस्थान–जयपुर।

विषयः–वित्तीय वर्ष 2025–26 में SDRF मद में DMIS पोर्टल पर बजट आवंटन मॉग के संबंध में।
प्रसंगः–एफ.2(9)आ.प्र.सहा. / लेखा / बजट / 2025–26 राजकाज–14545448 दिनांक 03.04.2025 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विभाग द्वारा DMIS पोर्टल पर प्रेषित मॉग के साथ किसी गतिविधि / आपदा / खराबे के लिये प्रेषित मॉग के साथ आपदा के पात्र लाभार्थियों में से लाभ वितरण एवं अवशेष रहे लाभार्थियों की निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रेषित करने के निर्देशों की पालना में निर्धारित प्रपत्र में सूचना ऑनलाईन बजट डिमांड के साथ संलग्न कर सादर प्रेषित है। (AS/AGRI/2079/BAR/0009628)

सम्वत् 2079 खरीफ वर्ष 2022 के लिये लाभार्थियों की कुल संख्या	सम्वत् 2079 में पूर्व में स्वीकृत उक्त पात्र लाभार्थियो का विवरण		सम्वत् 2079 मे इस स्वीकृति में लाभार्थियो का विवरण		सम्वत् 2079 मे अवशेष लाभार्थियो का विवरण	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
377014	165655	1182959021	29	359125	196609	उपलब्ध नहीं

नोट– सम्वत् 2079 के बिल वित्तीय वर्ष 2024–25 में कोषालय बारां के पारित होने के बावजूद राशि संबंधित लाभार्थी के खाते में ECS नही होने के कारण भुगतान लंबित रहा है।
संलग्न–प्रशासनिक स्वीकृति

प्रभारी अधिकारी(सहायता)
जिला कार्यालय, बारां